संख्या-01/2021/26/74-2-2021-08(बजट)/2019

प्रेषक,

अवध नारायण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उ0प्र0,
लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 04 फरवरी, 2021

विषयः 03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय योजना के अन्तर्गत 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में हो रही सम्भावित बचत से पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-477/सेरी0/लेखा/बजट अधि0-पुनर्विनियोग/2020-21, दिनांक 07 जनवरी, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में रेशम निदेशालय के अन्तर्गत अनुदान संख्या-10-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति मद में हो रही संभावित बचतों में से धनराशि रू0 12.01 लाख (रूपये बारह लाख एक हजार मात्र) का अनुदान संख्या-10-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-14-केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास की योजना (राज्यांश)-42-अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग किये जाने की राज्यपाल महोदया निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- पुनर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था के उद्देश्य से किया जा रहा है। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का व्यय किया जाये।
2- जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।
3- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका व्यय चालू वित्तीय वर्ष में नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
4- जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
5- स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 व 18-05-2020 में जारी दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृति की जाने वाली धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के बचतों से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020- 231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्याः-यू0ओ0-ई0-1-121/दस/2021 दिनांक 03.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2021/26(1)/74-2-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।